

(2)

मैं वह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संबंधवहारी और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करनेवाले, किसी अन्य संबंधवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशों की और प्रमाण-पत्र संभार किया :-

(हस्ताक्षर) :- 

(पदनाम) :- 

तलाशों की स्थापन और प्रमाण-पत्र की उक्त दिनांक व्यक्ति ने की



(हस्ताक्षर) :- A-K. Chaudhary

(पदनाम) :- 

कार्यालय (जिला) गिरेण्यन

तारीख कार्यालय इक्या




निष्पन्न पदाधिकारी का हस्ताक्षर


टिप्पणी (१) - इस प्रमाण-पत्र में जो संबंधवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार दिये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किसी इन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संबंधवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(२) निबंधन अधिनियम की धारा २७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रतियाँ देखना चाहते हों, यथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों यथवा जिन्हें वांछित संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की अहस्त हो उन्हें तलाशों स्वयं करनी होंगी। वांछित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।

(३) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशों नहीं की हैं, इसलिए कार्यालय ने अथेकीत तलाशों अपने भरकस सावधानी से की हैं। फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये तलाशों परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(४) और चूंकि वर्तमान मामले से आवेदक ने अपेक्षित तलाशों स्वयं की हैं और चूंकि इसके द्वारा दूढ़े गये गये संबंधवहारों और अवभारों का स्थापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूढ़े गये ऐसे संबंधवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो। अभिप्रेत है तलाशों की उपस्थिति
आर. पी. गुप्ता का प्रमाण पत्र के संबंध में उपरोक्त नोट निम्न।